संख्या-151/2024/3433/26-3-2024-1786910

प्रेषक,

रजनीकान्त पाण्डेय
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 18 नवम्बर 2024**

विषयः-जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में स्थापित विज्ञान प्रयोगशालाओं को उच्चीकृत किये जाने हेतु 62 विद्यालयों में से 34 विद्यालयों में लैब किट एवं फर्नीचर की व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ के पत्र संख्या-4891/6-3(38)/स0क0-आ0प0वि0 लैब किट/2024, दिनांक 25-10-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में स्थापित विज्ञान प्रयोगशालाओं को उच्चीकृत किये जाने हेतु 62 विद्यालयों में से 34 विद्यालयों में लैब किट एवं फर्नीचर की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-41/2024/537/26-3-2023-1786910, दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको को प्रथम चरण में 34 नग जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में स्थापित विज्ञान प्रयोशालाओं के उच्चीकरण हेतु लैब किट एवं फर्नीचर की व्यवस्था कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में स्थापित विज्ञान प्रयोगशालाओं को उच्चीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये 62 विद्यालयों में से 34 विद्यालयों में लैब किट एवं फर्नीचर की व्यवस्था हेतु योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के सापेक्ष जी0एस0टी0 सहित कुल अनुमानित धनराशि रू0 1000.00 लाख **(रूपये दस करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** श्री राज्यपाल निम्नवत् शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको, लखनऊ से तत्काल अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

(2) निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उक्त विद्यालयों में स्थापित विज्ञान प्रयोगशालाओं को उच्चीकृत किये जाने हेतु 62 विद्यालयों में से 34 विद्यालयों में लैब किट एवं फर्नीशिंग का कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाएगा।

(3) प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको द्वारा उपलब्ध करायी गयी 62 विद्यालयों की सूची में से सर्वप्रथम जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालयों तथा मण्डल मुख्यालय पर स्थित विद्यालयों में लैब किट एवं फर्नीचर की व्यवस्था करायी जाएगी। तत्पश्चात अन्य विद्यालयों में उक्त व्यवस्था की जाएगी।

(4) गत वर्ष 2023-24 में निर्गत शासनादेश संख्या-41/2024/537/26-3-2023-1786910, दिनांक 11.03.2024 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप द्वितीय चरण में भी 34 नग जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में स्थापित विज्ञान प्रयोशालाओं के उच्चीकरण हेतु लैब

किट एवं फर्नीचर की व्यवस्था करायी जाएगी। शासनादेश दिनांक 11.03.2024 में दी गयी व्यवस्था से किसी भी प्रकार का विचलन नहीं किया जाएगा।

(5) समस्त कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

(6) इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों/क्रय सम्बन्धी शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार सामग्री का क्रय करते हुए वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(8) निदेशक, समाज कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त स्वीकृति के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये इस्टीमेट के क्रम में आवश्यक धनराशि का ही व्यय किया जाये।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(11) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये-10,00,00,000/- (रूपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखाशीर्षक 4225017890700 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मानक मद 26 मशीने और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Rajani Kant Pandey
Date: 14-11-2024 17:04:27

(रजनीकान्त पाण्डेय)
उप सचिव

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0।
10- गार्डफाइल

(रजनीकान्त पाण्डेय)
उप सचिव